(3)

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ–25/6/12/19/यो – 4650 भोपाल दिनांक 13/8/2012

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता,
   लोक निर्माण विभाग, भोपाल
2. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, (पी0 आई0 यू0)
3. समस्त मुख्य अभियंता,
4. समस्त अधीक्षण यंत्री,
5. समस्त कार्यपालन यंत्री,
6. समस्त संभागीय परियोजना अधिकारी (पी. आई. यू.)
   लोक निर्माण विभाग

विषय:– प्राक्कलनों एवं एन आई टी में नॉन एस ओ आर आयटमों का समावेश ।

कार्य विभाग नियमावली 1983 के पैरा 2.027 में उल्लेखित

"The rates in an estimate should generally agree with scheduled rates. Where from any cause the latter is not considered suitable or sufficient, the deviation should be explained in details in the report, and if there is no relevant scheduled rate for a particular item of work in the estimate the proposed rate should be supported by an analysis".

उक्त पैरा में राज्य शासन ने एतद् द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्राक्कलनों एवं एन.आई.टी. में नॉन एस. ओ. आर. आयटम के प्रावधान का उपयोग निम्नानुसार किया जाय:–

1. किसी कार्य के संपादन हेतु आवश्यक होने पर दर विश्लेषण के आधार पर नॉन एस.ओ.आर. आयटम का अनुमोदन अधीक्षण यंत्री से प्राप्त किया जाय ।
2. प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्राक्कलनों में नॉन एस. ओ. आर. आयटम अलग से दर्शाते एवं तकनीकी प्रतिवेदन में उल्लेख करते हुए ही नॉन एस. ओ.आर. आयटम का उपयोग किया जाय ।
3. सक्षम अधिकारी द्वारा एस ओ आर एवं नॉन एस ओ आर आयटमों के अलग–अलग योग को दर्शाते हुए दोनों के महायोग की राशि पर तकनीकी स्वीकृति जारी की जाय ।

4. सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा दर सूची (एन.आई.टी. शेड्यूल) में "नॉन एस.ओ.आर. दरें" नामक उपशीर्ष के अधीनस्थ नॉन एस ओ आर आयटम सम्मिलित कर निविदा प्रारूप अनुमोदित किया जाय तथा निविदा दर सूची में सबसे नीचे "उपरोक्त नॉन एस. ओ. आर. दरें सिर्फ संबंधित कार्य के लिए ही हैं," उल्लेख किया जाय ।

5. एस. ओ. आर. एवं नॉन एस. ओ. आर. आयटम को मिलाकर ही पूरे कार्य की निविदा आमंत्रित की जावें । प्रपत्र "अ" अथवा "ब" में निविदा आमंत्रण की राशि (PAC) एस.ओ. आर. एवं नॉन एस. ओ. आर. के आयटमों को मिलाकर ही मानी जाय ।

6. अधीक्षण यंत्री द्वारा अनुमोदित किये गये नॉन एस. ओ. आर. आयटम सिर्फ उसी कार्य के प्राक्कलन एवं निविदा दर सूची में सम्मिलित किये जावें जिस कार्य के लिए नॉन एस.ओ.आर. आयटम अनुमोदन किया गया है ।

7. अधीक्षण यंत्रियों द्वारा अनुमोदित किये गये नॉन एस. ओ. आर. आयटमों को प्रमुख अभियंता एस. ओ. आर. के आगामी संशोधन में शामिल करने हेतु विचारार्थ लेंगे ।

प्रगतिरत कार्यों में कार्य विभाग नियमावाली 1983 वाल्यूम–2 के एपेडिक्स 2.13 एव 2.14 के क्लाज 13 में अधीक्षण यंत्रिओं को नॉन एस.ओ.आर. आयटम स्वीकृत करने के अधिकार यथावत रखे जाते हैं।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

13-8-12
(विजय सिंह वर्मा)
सचिव
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

पृ. कमांक एफ–25/6/12/19/यो–465।
प्रतिलिपिः–

भोपाल दिनांक 13/8/2012

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव मध्य प्रदेश शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्य प्रदेश ।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश ।
4. समस्त कलेक्टर्स, मध्य प्रदेश ।
5. निज सचिव मा. मंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग भोपाल

की ओर सूचनार्थ ।

13-8-12
सचिव
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग